कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए तथा 21 दिन के लॉकडाउन हमने कल के अपडेट में बताया था कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तिथि 30.6.2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया है तथा लेट फीस, पेनल्टी के साथ-साथ ब्याज में भी काफी राहत दी है। साथ में इनवॉइस का नया सिस्टम तथा नया रिटर्न फॉरमैट 1.10. 2020 को लागू करने के निर्णय से उद्योग व व्यापार जगत को काफी राहत मिलेगी।

इसी कड़ी में केरल व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए एक और निर्णय किया था कि कोरोनावायरस के कारण को देखते हुए 6.4.2020 तक किसी भी व्यापारी के विरुद्ध रिकवरी के लिए कोई कड़ी कार्रवाई, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट सीज करना, माल जप्त करना इत्यादि कठोर निर्णय नहीं लिए जाएंगे । हालांकि इस निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था तथा Solicitor General के आश्वासन के बाद कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर staty दिया था । परंतु इस सब यही लगता है कि कोर्ट भी व्यापार जगत की मुश्किलों को समझ रहे हैं तथा राहत देने का प्रयास कर रहे हैं।

अब CBIC चेयरमैन श्री M.अजीत कुमार ने सभी कमिश्नर व चीफ कमिश्नर को हिदायत दी है कि इस भयंकर आर्थिक हालात में वह सभी टैक्सपेयर के साथ सदभावना पूर्वक हमदर्दी का व्यवहार करें| हालांकि हाल में ही उन्होंने ही रेवेन्यू टारगेट को हासिल करने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा था पर अब लॉक डाउन की स्थिति में उन्हें सभी समस्याओं को देखते हुए सदभावना पूर्वक काम करने का निर्देश दिया है। इस चैलेंज भरी स्थिति में लॉक डाउन की वजह से २००8 से भी भयंकर मंदी की ओर भारत अग्रसर कर सकता है। इस तरह के वातावरण में आधिकारी नेतृत्व, गाइडेंस देते हुए इन सब से निपटने के लिए रास्ते बताएंगे।

इस तरह का व्यवहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से प्रशंसा के योग्य है और उद्योग व्यापार जगत इसकी सराहना करता है|